Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

सरजीन्द्रसिंह बनाम मनदीपसिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट **नम्बर 42/2024**

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/118

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
13.05.2024	प्रार्थी सरजीन्द्रसिंह पुत्र श्री जगरूपसिंह जाति जटसिख साकिन 14 एनपी तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री रणवीर सिंह बिश्नोई अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 251 के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड हस्तांतरण, रहन वा बैय करने से बाज व ममनु हेतु आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 14 एन.पी. के मु.नं. 49 के कि.न. 1–8–9 में चल रहे 12 फुट 3 इच चौडे रास्तें को आगामी तारीख पेशी **18.06.2024** तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने के आदेश दिये जाते है **अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीयागण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे।** रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट वास्ते पत्र जारी हो एव अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनाक **18.06.2024** को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर	
	22/5/24 आज पत्रावली [illegible] एवं प्रार्थी [illegible] करने पर [illegible] में निवेदन [illegible] कि आगामी पेशी बाद तलबी अप्रार्थीगण निश्चित है परन्तु [illegible]	सत्यप्रतिलिपि Identified [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

के मौतबिरान ने समक्ष/गुमरावंद वांछित रास्ता
की कृषि भूमि का आदान प्रदान जरिये बैनामा/इकरार
निश्चित किया है। इस कारण प्रकरण में जारी
दिनांक 13.5.24 की अस्थाई निषेधाज्ञा को
विड्रो किया जाना न्यायोचित होगी।
जिससे चाहे गये रास्ता का बैनामा पंजीकृत
संबंधित उप पंजीयक के समक्ष होगा।
दिनांक 13.5.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा
का विड्रो की जाने की स्वीकृति प्रदान करें।

प्रार्थी के प्रा० पत्र एवं मूल प्र० पत्र में
संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया अतः प्रा० पत्र एवं मूल प्र० पत्र में
संलग्न दस्तावेजों के आधार पर दिनांक
13.5.24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के
विड्रो करने की स्वीकृति प्रदान की जाती
है और प्रा० पत्र इसी स्तर पर स्वीकृत
किया जाकर दिनांक 13.5.24 को जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया
जाता है पत्रावली नियत तिथि होकर सम्बद्ध से
क्रम हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash
Chandra
Date: 2024.06.07 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner